



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267057
CG-DL-E-21102025-267057

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4570]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4570]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2025

सं. 43 / 2025—26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-20 के आइटीसी (एचएस) कोड 08028090 और 20081991 के अंतर्गत आने वाली सुपारी की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 4699(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के आइटीसी (एचएस) कोड 08028090 और 20081991 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों को शामिल करती है:-

आइटीससी (एचएस) कोड	विवरण	नीति	नीतिगत शर्त
08028090	सुपारी—अन्य	प्रतिबंधित	(क) तथापि, आयात मुक्त है यदि प्रति किलोग्राम सीआइएफ मूल्य 351/—रुपए और इससे अधिक है। (ख) तथापि, उक्त न्यूनतम आयात मूल्य 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा आयात तथा अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगी।
20081991	—अन्य:— अन्य भुनी हुई सुपारी और बीज	मुक्त	(क) तथापि, 351/— रु. प्रति किलोग्राम से कम सीआइएफ मूल्य की भुनी हुई सुपारी का आयात प्रतिबंधित है। (ख) अन्य सभी भुनी हुई सुपारी और बीजों का आयात मुक्त है। (ग) तथापि, (क) पर उल्लिखित न्यूनतम आयात मूल्य 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा भुनी हुई सुपारी का आयात और अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: सीआइएफ 351/— रु. प्रति किलोग्राम से कम मूल्य वाली आइटीसी (एचएस) कोड 20081991 के अंतर्गत आने वाली "भुनी हुई सुपारी" का आयात प्रतिबंधित है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा .सं. 01/89/180/43/एम-01/पीसी-2[ए]/ई-1256]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2025

No. 43 /2025-26

Subject: Amendment in import policy and policy condition of Areca Nuts falling under ITC (HS) Code 08028090 and 20081991 of Chapter-20 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy)

S.O. 4699(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby adds following condition against ITC (HS) Codes 08028090 and 20081991 of Schedule-I(Import Policy) of ITC (HS) 2022:

ITC (HS) Codes	Description	Policy	Policy Condition
08028090	Areca Nut ---Other	Prohibited	(a) However, import is free if the CIF value is Rs. 351/- and above per Kilogram. (b) The Minimum Import Price mentioned above, however, will not be applicable for import by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and imports under the Advance Authorization Scheme.
20081991	--- Other: ---- Other roasted nuts and seeds	Free	(a) However, import of Roasted Areca Nuts having CIF value less than Rs. 351/- per Kilogram is Prohibited . (b) Import of all other roasted nuts and seeds remains Free. (c) The Minimum Import Price mentioned at (a), however, will not be applicable for the import of Roasted Areca Nuts by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and imports under the Advance Authorization Scheme.

Effect of this Notification:

The Import of "Roasted Areca Nuts" falling under ITC (HS) Code 20081991, having CIF value less than Rs 351/- per Kilogram is "Prohibited".

This is issued with the approval of the Commerce and Industry Minister.

[F. No. 01/89/180/43/AM-01/PC-2[A]/E-1256]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.